भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1682

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति

1682. श्री राकेश राठौर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को आपूर्ति किए गए लगभग 28 प्रतिशत खाद्यान्न या तो समय पर वितरित नहीं किए गए या लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए जिसके कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न की हानि हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस स्थिति को राज्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी, भंडारण और उचित वितरण के अभाव से जोड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह की बर्बादी को रोकने के लिए राज्यों को समय पर वितरण, डिजिटल ट्रैकिंग और जवाबदेही तय करने के निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार केंद्रीकृत रीयल-टाइम अनाज ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में कोई व्यापक सुधार नीति तैयार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को आपूर्ति किए गए लगभग 28% खाद्यान्न या तो समय पर वितरित नहीं किए गए या इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे, यह रिपोर्ट त्रुटिवश उठान और वितरण को मिला देती है। उठान केंद्रीय डिपो से राज्यों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा को संदर्भित करता है, जबकि वितरण लाभार्थियों को इन अनाजों की डिलीवरी का प्रतिनिधित्व करता है। उठान के आंकडों में पारगमन में स्टॉक, बफर आबंटन, परिचालन भंडार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के लिए स्टॉक भी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत परिवारों में वितरित नहीं किया जाता है। इन अंतरों को ध्यान में न रखने से, रिपोर्ट के अनुमान मौलिक रूप से गलत हैं।

...2/-

आपूर्ति और वितरण दोनों पक्षों पर मजबूत डिजिटल कार्यकलापों को देखते हुए, प्रणाली में बड़े पैमाने पर खाद्य क्षति की संभावना को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, पीडीएस में दक्षता में सुधार लाने और नुकसान को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटल (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

इसके अलावा, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण लगाकर स्वचालित किया गया है ताकि लाभार्थियों का सही लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

*****